FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** कोटपूतली-बहरोड़ **P.S. (थाना):** कोटपूतली **Year (वर्ष):** 2023

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0608 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/10/2023 15:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	467
3	भा दं सं 1860	468
4	भा दं सं 1860	471
5	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. Day(दिन): सोमवार **Date From (दिनांक से):** 13/03/2023 **Date To (दिनांक तक):** 13/03/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/10/2023 **Time (समय):** 14:47 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 041 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/10/2023 14:47:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** उत्तर - पश्चिम, 450 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** मौहल्ला बुचाहेड़ा

(b) **Address(पता):** jodhpur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): dhanveer

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1961 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	jodhpur, जोधपुर सिटी पश्चिम, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	arkepurm, कोटपूतली, कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान, भारत

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-7015494018

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ramesharlal etc			1. indarvihar,जोधपुर सिटी पश्चिम, राजस्थान,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कानून संप्रभु का आदेश है और लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है। इन्साफ हक है, खैरात नहीं। Fiat Justitia Ruat Caelum न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। पत्रांक- राव / एफआईआर /287/2023 दिनांक: 13 सितंबर, 2023 सेवामें, श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना कोटपूतली, पुलिस जिला कोटपुतली बहरोड़ (राज.) विषय- इत्तिला धारा-154 (1) सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत। सहपति धारा-31 (1) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 बाबत संज्ञेय अपराध पर एफआईआर दर्ज विरुद्ध - 1. रामेश्वरलाल वल्द पूरण राम, उम्र करीबन 55 साल, निवासी- 52, इन्द्रा विहार, न्यू पावर हाउस रोड़, जोधपुर, राज. हाल-नर्स ग्रेड-1, मथुरादास चिकित्सालय, जोधपुर, राज. मोबाइल नंबर- 9414410876,761735315681 2. संतोष टाक पत्नी रामेश्वरलाल, उम्र-करीबन 50 साल, निवासी- 52, इन्द्रा विहार, न्यू पावर हाउस रोड़, जोधपुर, राज, Mobile No.- 9414410876,710961345967 3. डॉ. धर्मेंद्र गुर्जर, उम्र-बालिग, वल्द एवं पता-नामालूम, हाल-राज्य लोक सूचना अधिकारी, मथुरादास चिकित्सालय, जोधपुर, राज., Mo. No.- 9414560454 4. आपराधिक षडयंत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य अभियुक्तगण बजुर्म- दफा-34, 120बी, 166,167, 188, 204, 217, 419, 420, 466, 467, 468 एवं 471 भारतीय दंड संहिता एवं धारा-9 लोक अभिलेख अधिनियम 23 सन्दर्भ- 1. श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, राजस्थान पुलिस, जयपुर (राज.) का परिपत्र संख्या- 02/2018 तारीखी-30.07.2018 2. श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, राजस्थान पुलिस, जयपुर (राज.) का परिपत्र संख्या- 9727-98 तारीखी-10.05.2019 3. श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, राजस्थान पुलिस, जयपुर (राज.) का परिपत्र संख्या- -2375-431 तारीखी- 05.02.2020 4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय बउनवानी 'ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2013) AIR (SCW) 6386 में संज्ञेय अपराध के बाबत अभियोग दर्ज करने के बाबत दी गयी व्यवस्था

श्रीमानजी, उक्त विषय एवं सन्दर्भों में इत्तिलादाता आपराधिक षडयंत्र रचकर किये गए संगीन संज्ञेय अपराध पर FIR दर्ज करवाने बाबत यह इत्तिला निम्नप्रकार निवेदन करता है - 1. अभियुक्त रामेश्वरलाल वर्तमान में बतौर नर्स ग्रेड-1, मथुरादास चिकित्सालय, जोधपुर, राज. में कार्यरत है और वर्षों से यहाँ काबिज होने से अस्पताल के हर रिकॉर्ड तक आसानी से पहुँच रखता है। 2. अभियुक्ता संतोष टाक, उक्त अभियुक्त रामेश्वरलाल की पत्नी है जो तत्कालीन समय में राजकीय बालिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोटन, ब्लॉक-मेड़ता, जिला-नागौर, राज. में बतौर अध्यापिका कार्यरत थीं जिस समय हस्तगत प्रकरण के कूटरचित मेडिकल सिकनेस एवं फिटनेस के कूटरचित कागजात उक्त अभियुक्ता संतोष ने अपने पति, अभियुक्त रामेश्वर के मार्फ़त उसके तैनाती के अस्पताल के रिकॉर्ड के हवाले से ना केवल तैयार किये वरन इस्तेमाल कर खुद की कार्यालय से गैरहाजिरी को जायज ठहराकर, गैरकानूनन वेतन हासिल कर राजकोष का गबन किया था जिसको राजकोष में जमा करवाने के लिए इत्तिलादाता नें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर की हुई है। 3. अभियुक्ता संतोष टाक द्वारा अपने तात्कालिक कार्यालय से गैरहाजिरी वो वाजिब ठहराने के लिए और उक्त दिनों का गैरकानूनन वेतन हासिल करने के लिए अपने पति, उक्त अभियुक्त रामेश्वरलाल के मार्फ़त कूटरचना द्वारा कुछ Medical Sickness एवं Fitness Certificates तैयार करवाकर उनका असल की मानिंद इस्तेमाल किया गया था जिसके बाबत मुझ इत्तिलादाता नें अभियुक्ता संतोष टाक के तात्कालिक कार्यालय से रिकॉर्ड हासिल किया था जिनपर वाजिब शकोशुबा के चलते मुझ इत्तिलादाता नें उक्त रिकॉर्ड की तस्दीक के वास्ते उक्त रिकॉर्ड (14 कागजात) को संलग्न करते हुए अभियुक्त धर्मेन्द्र गुर्जर को एक लिखित आवेदन तहत धारा-76, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जरीये ई-मेल प्रेषित किया था। उक्त आवेदन की प्रति, उसके साथ संलग्न कर प्रेषित आवेदन एवं प्रतिलिपि शुल्क के चालन, आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गए अभियुक्ता संतोष टाक के Medical Sickness एवं Fitness Certificates का रिकॉर्ड एवं उसकी प्रेषण की ई-मेल रशीद संलग्न इत्तिला है। 4. उक्त आवेदन चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत प्रेषित किया गया था लिहाजा उसी कानून में जवाब दिया जाना आवश्यक होता है लेकिन अभियुक्त धर्मेन्द्र गुर्जर नें बाद विधिक नोटिस देने के, अपने लोकसेवकीय पदीय कर्तव्यों एवं विधि की अवज्ञा करते हुए, इत्तिलादाता को सदोष हानि एवं एनी अभियुक्तगण को सदोष लाभ एवं विधिविरुद्ध संरक्षण देने के लिए, आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिश्चित करते हुए संलग्न जवाब तारीखी- 08.08.2023 प्रेषित किया एवं दिनांक 31. 03.23 को जिसके साथ बहुत सारे कूटरचित दस्तावेजात पुनः इत्तिलादाता को

प्रेषित किये गए हैं। 5. कानूनन किसी भी Medical Sickness एवं Fitness Certificates को किसी भी चिकित्सालय से जारी करने के लिए उस पर OPD संख्यांक, जारी करने का क्रमांक, रुग्णता के कारण एवं आवश्यक समयावधि जिसके लिए प्रमाण-पत्र पत्र जारी किया गया है, रोगी का नाम इत्यादि विशिष्टियां एवं जारी करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं मुहरशुदा रिकॉर्ड के ही समान रिकॉर्ड की Counter Foil सम्बन्धित चिकित्सालय में मौजूद होनी आवश्यक है ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड को ताईद के लिए तलब किया जा सके चूंकि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण में तमाम Medical Sickness एवं Fitness Certificates को कूटरचना द्वारा तैयार किया था और इस कारण इत्तिलादाता द्वारा तस्दीक हेतु वांछित रिकॉर्ड की मांग करने पर अभियुक्तगण को यह इल्म हो गया था कि उनके जुर्म उजागर होने वाले हैं लिहाजा अभियुक्तगण नें अपने पूर्व में किये गए जुर्म के दंड से स्वयं को बचाने के लिए लोकसेवकीय पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए लोक दस्तावेजात का न्यासभंग करते हुए पुनः दस्तावेजात की कूटरचना करने के अपराधों की श्रंखला में पुनः नए जुर्म कारित किये जोकि आगामी बिन्दुओं में तफसील से अर्ज हैं | 6. मुझ इत्तिलादाता द्वारा प्रेषित चिकित्सा प्रमाणपत्र तारीखी-10.12.2020 की Counterfoil का रिकॉर्ड कूटरचित होना महज इस तथ्य से जाहिर होता है कि उक्त नुमाइशी Counterfoil का कोई रिकॉर्ड मुताल्लिक चिकित्सालय में मौजूद नहीं होने से उसपर कोई क्रमांक अंकित नहीं किये गए है | 7. मुझ इत्तिलादाता द्वारा प्रेषित चिकित्सा प्रमाणपत्र तारीखी-28.09.2019 की Counterfoil का रिकॉर्ड कूटरचित होना इन तथ्यों से जाहिर होता है कि इस्तेमाल और हमारे द्वारा प्रेषित उक्त चिकित्सा प्रमाणपत्र पर डॉ. शरद थानवी के नाम सहित सम्पूर्ण मुहर अंकित है जबकि नुमाइशी Counterfoil पर जारीकर्ता के नाम के उक्त चिकित्सक के ना तो हस्ताक्षर हैं और ना ही मुहर क्योंकि उक्त डॉ. शरद थानवी के नाम से जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र तारीखी-28.09.2019 कूटरचित है। 8. मुझ इत्तिलादाता द्वारा प्रेषित चिकित्सा प्रमाणपत्र तारीखी- 25.11.2019 की Counterfoil का रिकॉर्ड कूटरचित होना महज इस तथ्य से जाहिर होता है कि उक्त नुमाइशी Counterfoil का कोई रिकॉर्ड मुताल्लिक चिकित्सालय में मौजूद नहीं होने से उसपर कोई क्रमांक अंकित नहीं किये गए है, गजब बात यह है कि चिकित्सक 22.11.2019 को अभियुक्ता संतोष टाक को fit for duty करार दे रहा मगर उसपर निर्गत दिनांक 25.11.2019 अंकित है जो जाहिर करती है कि उस पर post dating की गयी है क्योंकि ऐसा कोई भी चिकित्सा प्रमाण-पत्र नहीं हो सकता जोकि किसी रोगी को fit for duty करार देने के उपरान्त जारी किया जा सकता है। 9. मुझ इत्तिलादाता द्वारा प्रेषित चिकित्सा प्रमाणपत्र तारीखी-08,14.07.2019 की Counterfoil का रिकॉर्ड कूटरचित होना इन तथ्यों से जाहिर होता है कि इस्तेमाल और हमारे द्वारा प्रेषित उक्त चिकित्सा प्रमाणपत्र पर सह आचार्य के हस्ताक्षर सहित मुहर अंकित है जबकि नुमाइशी Counterfoil पर जारीकर्ता के नाम के उक्त चिकित्सक के ना तो हस्ताक्षर हैं और ना ही मुहर क्योंकि उक्त जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र तारीखी-08,14.07.2019 कूटरचित है | 10. जुर्म केवल कूटरचित चिकित्सा प्रमाणपत्र तक महदूद नहीं है बल्कि उक्त जुर्म को छुपाने के लिए अभियुक्तगन नें उक्त चिकित्सालय के Neuro Surgery विभाग के मूल OPD Register को खुर्द-बुर्द कर कूटरचित रिकॉर्ड तैयार कर लिया जोकि इस तथ्य से ताईद हो जाता है कि उक्त रजिस्टर के क्रम संख्यांक 6696 के पृष्ठ की इतिलादाता को पूर्व में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रति पर उक्त क्रमांक से पूर्व एवं पश्चात के मरीजों के नाम अब प्रेषित रिकॉर्ड से भिन्न हैं जो यह जाहिर करते हैं कि उक्त रिकॉर्ड को जुर्म छुपाने के लिए कूटरचना कर तैयार कर असल की मानिंद इस्तेमाल किया गया है। 11. इसी तरह एवं मुताल्लिक दिनांक 01.08.2020 को जारी होना अंकित कूटरचित चिकित्सा प्रमाण-पत्र जिसपे कोई सीरियल नंबर नही लिखा गया परन्तु दिनांक 31.08.2023 को भेजी सूचना अनुसार इसका उक्त तारीखी- 01.08.2020 के कूटरचित चिकित्सा प्रमाण-पत्र पेशेंट के अनुसार इनका OPD रजिस्ट्रेशन नंबर 3693 है जिसे साबित करने के लिए उक्त क्रम संख्या पर अभियुक्ता संतोष टाक का नाम अंकित करते हुए ओ.पी.डी. रजिस्टर का पृष्ठ उपलब्ध करवाया गया है। यही ओ.पी.डी. रजिस्टर जब पूर्व में मांगा गया तो दिनांक 09.03.2023 को भेजी गई सूचना में क्रमांक- 3693 पर केवल और केवल एक ही नाम (तारुराम) लिखा हुआ था पंरतु अब जब इनसे फर्जी मेडिकल को काउंटर फाइल्स मांगी तो इन्होंने उसमे संतोष टाक का नाम लिखकर फर्जी मेडिकल को सही साबित करने की कोशिश की। अपने लोक दस्तावेजात की कूटरचना के जुर्म को छुपाने के लिए अभियुक्तगण नें उक्त चिकित्सालय के Neuro Surgery विभाग के मूल OPD Register को खुर्द-दं कर कूटरचित रिकॉर्ड तैयार कर लिया जोकि इस तथ्य से ताईद हो जाता है कि उक्त रजिस्टर के क्रम संख्यांक 3693 के पृष्ठ की इतिलादाता को पूर्व में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रति पर उक्त क्रमांक वास्तविक मरीज तारुराम का नाम एवं उम्र बखूबी अंकित है और साथ ही पूर्व एवं पश्चात के मरीजों के नाम अब प्रेषित रिकॉर्ड से भिन्न हैं जो यह जाहिर करते हैं कि उक्त रिकॉर्ड को अभियुक्ता संतोष टाक एवं अन्य अभियुक्तगण नें अपने जुर्म छुपाने के लिए कूटरचना कर तैयार कर असल की मानिंद इस्तेमाल किया गया है। 12. चूंकि अभियुक्त रामेश्वरलाल मथुरादास चिकित्सालय, जोधपुर, राज. में बतौर नर्स ग्रेड- वर्षों से काबिज है और हर मुमकिन तौर पर मुकामी चिकित्सालय के रिकॉर्ड को मेन्टेन करने वाले नर्सिंग कर्मियों एवं अन्य स्टाफ पर नियंत्रक होने के नाते जाहिर- नाजाहिर, जायज-नाजायज हर मुमकिन तौर पर लोकदस्तावेजात तक पहुंचना, उन्हें खुर्द-बुर्द करना एवं और उनकी कूटरचना करना सहज था जिसका इस्तेमाल करते हुए उसनें अन्य मुकामी अभियुक्तगण के सहयोग से तमाम जुर्म में मुख्य अभियुक्त की भूमिका निभाई है और शेष नें उसके आपराधिक साज में शामिल होकर उक्त तमाम जुर्म किये जाने में बखूबी सहयोग किया है

। 13. उक्त तमाम रिकॉर्ड एवं घटनाक्रम से संदेह से परे जाहिर होता है कि अभियुक्ता संतोष टाक की अपने कार्यालय से गैरहाजिरी को गैरकानूनी ढंग से सही ठहराकर वेतन के रूप में सदोष लाभ पहुंचाने के लिए उसके पति अभियुक्त रामेश्वरलाल ने पहले तो अपनी तैनाती के चिकित्सालय के नाम से कूटरचित चिकित्सा प्रमाण-पत्र तैयार करवाए जिनका विधिविरुद्ध और उनको कूटरचित जानकार भी असल की मानिंद अभियुक्ता संतोष टाक नें इस्तेमाल किया और जब उक्त जुर्म के रिकॉर्ड की ताईद के लिए मुताल्लिक रिकॉर्ड माँगा गया तो अपने उक्त जुर्म को छुपाने एवं दंड से बचने के लिए उक्त रामेश्वरलाल ने अभियुक्त धर्मेन्द्र गुर्जर एवं अन्य अभियुक्तगण (जो स्वयं लोकसेवक हैं) जिनकी न्यास में O.P.D. Register इत्यादि रिकॉर्ड मौजूद था से आपराधिक साज करके न केवल उक्त प्रकार साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द करवाया बल्कि उनके स्थान पर लोक दस्तावेजात की कूटरचना करते हुए नए कूटरचित दस्तावेजात तैयार कर उनको इत्तिलादाता को मुहैया करवाया गया है जो कि धारा-34, 1208, 166,167, 188, 204, 217, 419, 420, 466, 467, 468 एवं 471 भारतीय दंड संहिता एवं धारा-9 लोक अभिलेख अधिनियम की तारीफ में आती है। 14. उक्त तमाम अपराध मूल रिकॉर्ड एवं रजिस्टरों के जब्त करने एवं उनकी FSL जांच से खुद ब खुद संदेह से परे साबित हो जायेंगे जिसकी शक्तियां केवल आप श्रीमानजी को ही हासिल हैं और आप द्वारा ही इस्तेमाल की जा सकती है लिहाजा हस्तगत प्रकरण में मुक़द्दमा दर्ज करना निहायत जरूरी है। 15. इत्तिलादाता के पास आज दिनांक तक उक्त तमाम घटनाक्रम एवं जुर्म को साबित करने वाले कागजात मौजूद हैं जिनको संलग्न कर पेश कर रहा हूँ और शेष कोई रिकॉर्ड हासिल या आवश्यक हुआ तो दौराने अनुसन्धान पेश कर दिया जावेगा । अतः दरपेश गुजारिश है कि उक्त अभियुक्तगण के खिलाफ अजरूय दफा मुकद्दमा दर्ज करने की मेहरबानी फरमावें ताकि अभियुक्ता को बाद चालान उक्त आपराधिक कृत्यों के लिए माननीय न्यायालय से कठोरतम दंड से दण्डित करवाया जा सके। सादर। अर्ज कुनंदा/ इत्तिलादाता, एसडी राव धनवीर सिंह पुत्र श्री देशराज मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला-कोटपुतली बहरोड़, राज. PIN-303108, Mo.No.- 7015494018 email-raodhanbeersingh@gmail.com

**** कार्यवाही पुलिस **** प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परिवाद मय फोटोप्रति दस्तावेजात किता 33 के श्री राव धनवीरसिंह पुत्र श्री देशराज यादव उम्र 62 साल निवासी मकान नम्बर 02/आई/40 आरके पुरम हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली तन रामसिंहपुरा थाना कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा दिनांक 13.09.2023 को थाना हाजा पर उपस्थित होकर पेश किया गया जिसको जांच हेतु श्री श्यामसुन्दर सउनि. को सुपुर्द किया गया था, आज उक्त स.उ.नि. द्वारा जांच रिपोर्ट मय परिवाद के प्रस्तुत की गयी, जिसमें धारा 420,467,468,471,120बी आईपीसी का बनना एवं घटनास्थल ईलाका थाना शास्त्रीनगर जोधपुर पश्चिम का माना है, चूंकि जांच से घटनास्थल कोटपूतली का नही पाया गया है। अतः जीरो नम्बरी एफआईआर धारा उपरोक्त में किता कर अनुसंधान हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोटपूतली बहरोड के माध्यम से थाना शास्त्रीनगर जिला जोधपुर पश्चिम को किताशुदा मूल एफआईआर प्रेषित की जावेगी।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Rank
(जाँच अधिकारी का नाम): (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): शास्त्रीनगर **District (जिला):** जोधपुर सिटी पश्चिम
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Shakti Singh

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)